[2022] 5 एस. सी. आर. 1034

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास

प्राधिकरण ई. टी. सी.

वी.

शकुंतला शिक्षा और कल्याण समाज

& ओआरएस। ईटीसी।

(सिविल अपील सं। 4178-4197 2022 का)

19 मई, 2022

[एल. नागेश्वर राव और बी. आर. गवई, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894: भूमि अधिग्रहण-किसानों को 64.7% के अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान-उत्तर प्रदेश राज्य ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण-वाई. ई. आई. डी. ए.-वाई. ई. आई. डी. ए. के लाभ के लिए भूमि के विशाल क्षेत्र का अधिग्रहण किया, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 1 - इसी तर्ज पर, राज्य ने नोएडा के लाभ के लिए भूमि का अधिग्रहण किया-नोएडा अधिग्रहण के संबंध में उच्च न्यायालय ने गजराज मामले में भुगतान का निर्देश दिया

किसानों को 64.7% के अतिरिक्त मुआवजे की पुष्टि सावित्री देवी के मामले में की गई-इसके परिणामस्वरूप, YEIDA के किसानों ने अतिरिक्त मुआवजे की मांग की - किसानों का आंदोलन, विकास कार्य रुक गए

अधिग्रहित भूमि-इसे ध्यान में रखते हुए, उच्च स्तरीय समिति का गठन, जिसने किसानों को "कोई मुकदमेबाजी प्रोत्साहन नहीं" के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान करने और उचित अनुपात में आवंटनकर्ताओं से इसकी प्रतिपूर्ति के लिए सिफारिश की थी-राज्य सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया और एक सरकारी आदेश जारी किया-इसके अनुसार, प्रतिवादी संख्या सहित विभिन्न आवंटनकर्ताओं को अतिरिक्त मांग नोटिस जारी किए गए। 1 - चुनौती-उच्च न्यायालय ने माना

राज्य सरकार की आवंटनकर्ताओं से अनुचित और अनुचित के रूप में अतिरिक्त राशि मांगने की नीति-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय और वाई. ई. आई. डी. ए. बोर्ड का संकल्प व्यापक लोक हित में था, जिसमें आबंटियों के साथ-साथ किसानों की चिंताओं का भी ध्यान रखा गया था-यदि कहा गया था

निर्णय नहीं लिया गया था, अधिग्रहण होने की संभावना थी

गैरकानूनी घोषित-किसानों के आंदोलन के कारण पूरी परियोजना का विकास रुका हुआ था-नीतिगत निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार ने गठित समिति के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया था। आबंटियों, किसानों और YEIDA-नीतिगत निर्णय के बाद लिया गया था

सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए और कारणों से निर्देशित किया गया था-सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित के बीच टकराव की स्थिति में, सार्वजनिक हित व्यक्तिगत हित से अधिक होगा-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं ठहराया कि राज्य का नीतिगत निर्णय अनुचित, अनुचित और मनमाना है-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया और रद्द कर दिया गया-नीतिगत निर्णय।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 यह देखा जा सकता है कि चौधरी समिति की सिफारिशें मुख्य रूप से हल करने के लिए थीं।

जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण वाई. ई. आई. डी. ए. के लिए किया गया था, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने की सिफारिश की गई, जैसा कि उन किसानों के साथ किया गया था जिनकी भूमि का अधिग्रहण नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाभ के लिए किया गया था। चौधरी समिति ने पाया कि वही लाभ उन किसानों को दिए गए थे जिनकी भूमि का अधिग्रहण गजराज के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाभ के लिए किया गया था, जैसा कि इस अदालत ने सावित्री देवी के मामले में पुष्टि की थी, उन किसानों को भी दिया जाना चाहिए जिनकी भूमि का अधिग्रहण वाई. ई. आई. डी. ए. के लाभ के लिए किया गया था। हालांकि, इसे सशर्त बना दिया गया था। भूमि मालिकों को इस शर्त पर अतिरिक्त लाभ दिया गया था कि वे उन्हें सौंप देंगे। वाई. ई. आई. डी. ए. को भूमि का भौतिक कब्जा और रिट वापस लें

चौधरी समिति की सिफारिशें। वाई. ई. आई. डी. ए. ने भी 15 सितंबर, 2014 को अपनी बोर्ड बैठक में राज्य सरकार के निर्णय को लागू करने का संकल्प लिया। तदनुसार, आबंटियों को मांग नोटिस जारी किए गए। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है - विभिन्न कारकों से पहले। सबसे पहले, किसानों का आंदोलन, जब उन्हें उन किसानों को दिए गए लाभों से वंचित कर दिया गया, जिनकी भूमि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाभ के लिए अधिग्रहित की गई थी; आयुक्त की रिपोर्ट, चौधरी समिति की नियुक्ति, चौधरी के विचार-विमर्श।

विभिन्न हितधारकों के साथ समिति, और उसके बाद चौधरी समिति की सिफारिशें। [पैरा 50 52] [1060-ई-एच; 1061-ए-सी] [2022] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसानों के आंदोलन के कारण रुक गए थे। किसानों ने भेदभाव महसूस किया क्योंकि उन्होंने पाया कि उन्हें दिया गया मुआवजा समान रूप से दिए जाने वाले मुआवजे से बहुत कम था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों की स्थिति। यह भूमि के आवंटनकर्ता थे जिन्होंने समस्या के निवारण के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया था। इन परिस्थितियों में,

सरकार ने समस्या का संज्ञान लिया और इस मुद्दे को देखने के लिए आयुक्त को नियुक्त किया। चूंकि आयुक्त ने एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की सिफारिश की थी, इसलिए चौधरी समिति नियुक्त की गई। चौधरी समिति ने सभी हितधारकों के साथ गहन चर्चा की। इसने यह भी ध्यान में रखा कि विभिन्न रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशों के कारण परियोजना का विकास रुका हुआ था। रिट याचिकाओं के लंबित होने के कारण, इसके पूरे अधिग्रहण को गैरकानूनी घोषित किए जाने पर हमेशा एक लटकती तलवार होती थी। इस आधार पर, एक व्यवहार्य समाधान खोजने के लिए और वह भी, गजराज के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आधार पर, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सावित्री देवी के मामले में पुष्टि की गई थी और इसके बाद इस न्यायालय द्वारा सावित्री मोहन (मृत) के मामले में, चौधरी समिति द्वारा सिफारिशें की गईं। चौधरी समिति

विशेष रूप से सिफारिश की गई है कि अतिरिक्त मुआवजा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण V.

शकुंतला शिक्षा और कल्याण समाज

1.3 राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय व्यापक जनहित में था। इसे पूरी सामग्री को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। सभी हितधारकों के साथ उचित विचार-विमर्श के बाद चौधरी समिति द्वारा एकत्र किया गया। राज्य सरकार द्वारा जिन कारकों पर विचार किया गया, वे प्रासंगिक, तर्कसंगत और जमीनी वास्तविकताओं पर आधारित थे। इस प्रकार, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय था

मनमाना, तर्कहीन और अनुचित, पूरी तरह से गलत है। [पैरा 58] [1065 ई]

1.4 नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता तब तक नहीं होगी जब तक कि यह नहीं पाया जाता कि नीतिगत निर्णय स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, तर्कहीन या वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला। उच्च न्यायालय का राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करना भी सही नहीं था, जो व्यापक जनहित में है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह तय से कहीं अधिक है कि सरकार द्वारा नीति में परिवर्तन सरकार और एक निजी पक्ष के बीच निजी संधियों पर एक प्रमुख प्रभाव डाल सकता है, यदि वह सामान्य सार्वजनिक हित में था। अतिरिक्त

आवश्यकता यह है कि नीति में इस तरह के परिवर्तन को कारण से निर्देशित करने की आवश्यकता है। [पारस 60 और 62] [1068-एच; 1069-ए, डी-ई] 1.5 जब राज्य द्वारा किसी नीति में परिवर्तन किया जाता है, जो आम जनहित में है, तो ऐसी नीति [2022] 5 एस. सी. आर. पर प्रबल होगी।

व्यक्तिगत अधिकार/हित। राज्य सरकार की नीति, जो उक्त जी. ओ. में परिलक्षित होती है, न केवल व्यापक लोक हित में थी, बल्कि उत्तरदाताओं के हित में भी थी। [पैरा 65] [1069

जी-एच; 1070-ए]

1.6 उत्तरदाताओं ने आचरण में लिप्त किया है

स्वीकार करें और अस्वीकार करें। उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार अपना रुख बदला है। जब किसानों के आंदोलन के कारण उनकी परियोजनाएं रुकी हुई थीं, तो उन्होंने ही समाधान खोजने के लिए राज्य के अधिकारियों से संपर्क किया था। जब राज्य सरकार ने उनके अभ्यावेदन का जवाब दिया और एक ऐसी नीति बनाई जो न्यायसंगत और किसानों और आबंटियों दोनों के हित में थी और जब उक्त नीति ने दोनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

विकास, जब अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहा जाता है क्षतिपूर्ति, उत्तरदाताओं-आबंटियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष उसी नीति को चुनौती दी और चुनौती दी, जिससे उन्हें लाभ हुआ। [पैरा 66] [1070-बी-डी]

1.7 जहाँ तक व्यक्तिगत भूखंड मालिकों का संबंध है, यह उल्लेख करना सार्थक होगा कि आवासीय भूखंड मालिक यमुना एक्सप्रेसवे शहर के सेक्टर 18 और 20 ने एक संघ का गठन किया है। , यमुना एक्सप्रेसवे आवासीय-प्लॉट-मालिक कल्याण संघ (इसके बाद "यरव" के रूप में संदर्भित)। वाई. ई. आर. डब्ल्यू. ए. के अध्यक्ष द्वारा वाई. ई. आई. डी. ए. के सी. ई. ओ. को संबोधित संचार से पता चलेगा कि आबंटियों/मालिकों में से 98.5% ने प्राधिकरण द्वारा मांगे गए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने के पक्ष में मतदान किया है। यरव द्वारा किया गया एकमात्र अनुरोध किश्तों में अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने का प्रावधान करने के संबंध में है। जहाँ तक व्यक्तिगत आवासीय भूखंड मालिकों का संबंध है

98 प्रतिशत से अधिक भूखंड मालिकों को अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान पर कोई आपत्ति नहीं है। [पारस 67 और 68] [1070-डी-एफ]

1.8 राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय जैसा कि 29 अगस्त, 2014 के उक्त जी. ओ. में परिलक्षित होता है और

15 सितंबर, 2014 का वाई. ई. आई. डी. ए. बोर्ड आबंटियों के साथ-साथ किसानों की चिंताओं का ध्यान रखते हुए व्यापक जनहित में था। यदि उक्त निर्णय नहीं लिया गया था, तो अधिग्रहण को गैरकानूनी घोषित किए जाने की तलवार लटक रही थी। किसानों के आंदोलन के कारण पूरी परियोजना का विकास रुका हुआ था।

नीतिगत निर्णय लेने से पहले, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण v. शकुंतला शिक्षा और कल्याण समाज

राज्य सरकार ने चौधरी समिति के माध्यम से आबंटियों, किसानों और वाई. ई. आई. डी. ए. सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया था। नीतिगत निर्णय सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था और

कारणों से निर्देशित किया गया था। किसी भी मामले में, यह कानून की एक तय स्थिति है कि सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित के बीच टकराव के मामले में, सार्वजनिक हित व्यक्तिगत हित से अधिक होगा। इस प्रकार उच्च न्यायालय का यह मानना उचित नहीं था कि राज्य का नीतिगत निर्णय अनुचित, अनुचित और मनमाना था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को अनुमति देने में गलती की, इस प्रकार, विवादित

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 70] [1070-एच; 1071-ए-सी]

गजराज और अन्य बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य 2011

एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 1711; सावित्री देवी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2015) 7 एस. सी. सी. 21: [2015] 7 एस. सी. आर. 512; जनहित याचिका केंद्र और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2012) 3 एस. सी. सी. 1: [2012] 3 एससीआर 147; नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम। भारत संघ और अन्य (2000) 10 एस. सी. सी. 664: [2000] 4 पूरक। एससीआर 94; आईटीसी लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2011) 7 एससीसी 493 [2011] 7 एससीआर 66; ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम। सावित्री मोहन

(मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य लोगों के माध्यम से

(2016) 13 एस. सी. सी. 210 [2016] 3 एस. सी. आर. 187; कासिंका ट्रेडिंग और एक अन्य बनाम। भारत संघ और एक अन्य

(1995) 1 एससीसी 274: [1994] 4 पूरक। एससीआर 448; एस्सार स्टील लिमिटेड बनाम। भारत संघ और अन्य (2016) 11 एससीसी 1: [2016] 4 एससीआर 326; एपीएम टर्मिनल बी. वी. वी. भारत संघ और एक अन्य (2011) 6 एस. सी. सी. 756 [2011]

8 एस. सी. आर. 600-संदर्भित।

प्रो. एस. ए. डी. स्मिथ "प्रशासनिक न्यायिक समीक्षा

कार्रवाई "संदर्भित। —

मामला कानून संदर्भ

[2015] 7 एससीआर 512

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[2012] 3 एससीआर 147

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

[2000] 4 पूरक। एससीआर 94

संदर्भित किया गया है

पैरा

22 [2022] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पैरा

30 (ix)

[2011] 7 एससीआर 66

संदर्भित किया गया है

[2016] 3 एससीआर 187

संदर्भित किया गया है

पैरा

38

[1994] 4 पूरक। एससीआर 448

संदर्भित किया गया है

पैरा

53

[2016] 4 एससीआर 326

संदर्भित किया गया है

पैरा

59

[2011] 8 एससीआर 600

संदर्भित किया गया है

पैरा

61

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 4178

4197 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 28.05.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

इलाहाबाद में न्यायपालिका की धारा-2018 का लिखित-सी No.28968,2015 का 68724,2016 का 45929 और 46993,2017 का 17609,23357 और 25359,2018

का 2452,2017 का 40702,52310 और 61882,7142,9247,14730,200553,20158,20217,25994,3669 और 28956।

के साथ

सिविल अपील सं। 4198-4217 , 4218 और 2022 का 4219।

विनोद दिवाकर, एएजी, सी. ए. सुंदरम, सी. यू. सिंह, मनिंदर

सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अमर गुप्ता, दिव्यम अग्रवाल, कुणाल मिमानी, अनिकेत अग्रवाल, जफर इनायत, अनुव्रत शर्मा, सुश्री अलका सिन्हा, बी. एन. दुबे, राकेश यू. उपाध्याय, सुश्री आरती यू. मिश्रा, ऋषभ कुमार पांडे, डॉ. सूरत सिंह, अशोक के. महाजन, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

नकुल दीवान, सुनील गुप्ता, रवींद्र श्रीवास्तव, रवि सीकरी, संजीव

सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , लोकेश भोला, कपिल बख्शी, अर्चित उपाध्याय, अजय के. जैन, अक्षत कुमार, सुश्री सरोज त्रिपाठी, ईशान दीवान, सुश्री गरिमा तिवारी, लोकेश मलिक, सुश्री प्रियल बापना, सुश्री सुकृति चौहान, नितिन सिंह, शशि कुमार, अंकुर यादव, अभिषेक कुमार, अनुराग रावत, सुश्री समिता मान, राज कमल, मुदित शर्मा, तरुण गुप्ता, सुश्री वागिशा नंदिनी, गौरव कुमार, इंद्रजीत कुमार, सुश्री ऋचा यादव, रवि प्रकाश, संदीप मलिक, विशाल मणि, आलोक कुमार, विकल्प मुद्गल, विशाल गुप्ता, तनजेन ताशी नेगी, संतोष कुमार-आई, अर्जुन डी. सिंह, संदीप कुमार झा, अवने उत्तरदाताओं के लिए।

रविंदर श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , शेखर गुप्ता, नितिन सलूजा,

सुश्री प्रियंका प्रशांत, अधिवक्ता। हस्तक्षेप करने वालों के लिए।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण v. शकुंतला शिक्षा और कल्याण समाज

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलों के इस समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न रिटों में पारित 28 मई, 2020 के फैसले और आदेश को चुनौती दी है भूमि के भूखंडों के आवंटनकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाएँ। अपीलार्थी द्वारा की गई अतिरिक्त राशि की मांग को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर की गई थीं-यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(इसके बाद आबंटियों को पट्टे पर दी गई भूमि के भूखंडों के संबंध में "वाई. ई. आई. डी. ए".. के रूप में संदर्भित; वाई. ई. आई. डी. ए. बोर्ड का संकल्प दिनांक 15 तारीख

सितंबर, 2014 और 29 अगस्त, 2014 के सरकारी आदेश, जिसके अनुसार राज्य सरकार ने वाई. ई. आई. डी. ए. को आवंटनकर्ताओं से अतिरिक्त राशि की वसूली करने की अनुमति दी थी।

3. वर्तमान मामले में तथ्य विवादित नहीं हैं। सुविधा के लिए, हम लिखित में पाए जाने वाले तथ्यात्मक विवरणों का उल्लेख करेंगे।

मेसर्स शकुंतला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर 2018 की याचिका यहाँ)।

4. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए गौतम बुद्ध नगर जिले में भूमि का एक विशाल क्षेत्र अधिग्रहित किया गया था। उक्त क्षेत्र

YEIDA के लाभ के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। भूमि अधिग्रहण के बाद, YEIDA ने अपने द्वारा विकसित क्षेत्र में भूमि के भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इस तरह के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस के जवाब में

आबंटन में, प्रतिवादी संख्या 1 सहित विभिन्न आबंटियों ने आवेदन किया और उन्हें विभिन्न आकारों के भूखंड आवंटित किए गए।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 को 14 तारीख के पत्र द्वारा सूचित किया गया था।

सितंबर, 2009 में इसके लिए 50 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है।

इसके बाद, 10 दिसंबर, 2009 को प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटन पत्र जारी किया गया, जिसमें सेक्टर 7-ए में भूखंड संख्या 2 आवंटित किया गया, जिसका क्षेत्रफल 50 एकड़ है, जो कि 2,02,350 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। मीटर। आवंटन पत्र में यह कहा गया था कि आवंटित भूमि का प्रीमियम 1,055/- रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर था। मीटर। यह भी उल्लेख किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रीमियम राशि का 10 प्रतिशत जमा किया था और प्रीमियम राशि का शेष 90 प्रतिशत मासिक किश्तों में देय था जैसा कि उसमें निहित चार्ट में निर्दिष्ट किया गया था। आवंटन पत्र में आगे कहा गया है कि पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा और भूमि का कब्जा [2022] 5 एस. सी. आर. के बाद सौंप दिया जाएगा।

अधिग्रहण प्रक्रिया का समापन। यह कहा गया था कि भूमि पहले से ही YEIDA के कब्जे में थी। 6. यह प्रत्यर्थी संख्या 1 का तर्क था कि उपरोक्त आवंटन पत्र के आधार पर, एक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा आवंटन के नियमों और शर्तों का पर्याप्त अनुपालन करने और आवश्यक राशि जमा करने के बाद 90 वर्षों की अवधि के लिए 22 जनवरी, 2010 को प्रत्यर्थी संख्या 1 का पक्ष

राशि, यानी प्लॉट के कुल प्रीमियम का ढाई प्रतिशत वार्षिक पट्टे के किराए के रूप में देय था। 7. यह प्रतिवादी संख्या 1 का मामला था कि माप के दौरान, यह पाया गया कि उसे आवंटित भूखंड में लगभग 2 एकड़ का अतिरिक्त क्षेत्र था। उक्त अतिरिक्त भूमि भी उसी नियम और शर्तों पर उसे पट्टे पर दी गई थी। इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 का मामला था कि उसे उपरोक्त भूमि का अधिकार दिया गया और उस पर गलगोटियास विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय विकसित किया गया।

8. यह उत्तरदाता संख्या 1 का मामला था कि बाद में YEIDA एक नीति के साथ आया और उत्तरदाता को एक विकल्प दिया

नं. 1. प्रीमियम की पूरी राशि किश्तों में जमा करने के बजाय एकमुश्त जमा करें। यह कुछ छूट के अधीन था। यह कहा गया था कि उक्त नीति के अनुसार, वाई. ई. आई. डी. ए. द्वारा एकमुश्त राशि का निर्धारण किया गया था और इसका भुगतान प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा भी किया गया था। अ. 7 जून, 2012 को एक शपथ पत्र पर प्रत्यर्थी संख्या 1 से यह वचन भी लिया गया था कि यदि कोई लिपिकीय त्रुटि या एकमुश्त राशि की गलत गणना होती है, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 इस कमी को दूर करेगा।

9. उत्तर प्रदेश राज्य ने भी न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लाभ के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया था।

(“ नोएडा "संक्षेप में) और ग्रेटर नोएडा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न आधारों पर उक्त अधिग्रहण को चुनौती देने वाली किसानों द्वारा कई रिट याचिकाएं दायर की गईं। चुनौती का मुख्य आधार यह था कि भूमि अधिग्रहण के लिए कोई तात्कालिकता नहीं थी और इस तरह, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (जिसे इसके बाद "एल. ए. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 17 को लागू करना आवश्यक नहीं था। यह तर्क दिया गया कि एल. ए. अधिनियम की धारा 17 को लागू करने के कारण, एल. ए. अधिनियम की धारा 5 ए के तहत रिट याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध एक मूल्यवान अधिकार को छीन लिया गया था।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण v. शकुंतला शिक्षा और कल्याण समाज [बी. आर. गवई, जे.]

सभी उक्त रिट याचिकाओं पर 21 अक्टूबर, 2011 के फैसले और आदेश के माध्यम से निर्णय लिया गया। प्रमुख मामले में, अर्थात्, गजराज और

अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि तात्कालिकता खंड को लागू नहीं किया जाना चाहिए था और किसानों को एल. ए. अधिनियम की धारा 5 ए के लाभ से गैरकानूनी रूप से वंचित कर दिया गया था, जिसमें वे भूमि अधिग्रहण पर आपत्तियां उठा सकते थे। हालाँकि, बाद के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए कि भूमि पहले ही विकसित की जा चुकी थी और तीसरे पक्ष के अधिकार अर्जित हो चुके थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने गजराज (उपरोक्त) के मामले में अधिग्रहण में बाधा नहीं डालना उचित समझा। इक्विटी को संतुलित करने के लिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने किसानों के कुछ वर्गों को 64.7% के अतिरिक्त मुआवजे के साथ-साथ कुछ अन्य लाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसने किसानों को कुछ अन्य लाभ देने का भी निर्देश दिया। न्यायालय द्वारा 64.7% के उपरोक्त अतिरिक्त मुआवजे पर काम किया गया था।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि गाँवों में से एक के संबंध में, अर्थात, पटवाड़ी, नोएडा ने स्वयं किसानों के साथ बातचीत की थी और

प्रदत्त मुआवजे के अतिरिक्त उपरोक्त दर पर अतिरिक्त मुआवजे का लाभ बढ़ाया।

10. प्रयागराज (उपरोक्त) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के उपरोक्त निर्णय और आदेश की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा सावित्री देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में की गई।

और अन्य 2। 11. चूंकि जिन किसानों की भूमि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाभ के लिए अधिग्रहित की गई थी, उन्हें अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा था

64.7% के मुआवजे के रूप में, उन किसानों के बीच अशांति थी जिनकी भूमि YEIDA के लिए अधिग्रहित की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि आंदोलन के कारण

किसानों द्वारा विशाल भूमि का विकास नहीं किया जा सका। इस प्रकार, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (इसके बाद "सी. ई. ओ". के रूप में संदर्भित) वाई. ई. आई. डी. ए. ने 10 अप्रैल, 2013 को राज्य सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें समाधान खोजने का अनुरोध किया गया था। उक्त पत्र पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने मेरठ मंडल के आयुक्त को उसी दिन, यानी 10 अप्रैल, 2013 के अपने पत्र के माध्यम से किसानों के विभिन्न समूहों से मिलने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

12. तदनुसार, आयुक्त ने किसानों के विभिन्न समूहों और संबंधित जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक की और प्रस्तुत किया 1 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 1711

2 (2015) 7 एस. सी. सी. 21 [2022] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की सिफारिश करते हुए 16 जुलाई, 2013 को राज्य सरकार को एक रिपोर्ट।

13. राज्य सरकार ने 3 सितंबर, 2013 को कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। श्री राजेंद्र चौधरी, जेल मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य

(इसके बाद "चौधरी समिति" के रूप में संदर्भित)। चौधरी समिति में मंडल आयुक्त भी शामिल थे।

संबंधित प्रभाग और संबंधित जिले के कलेक्टर। चौधरी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिसमें किसानों को "कोई मुकदमेबाजी प्रोत्साहन नहीं" के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान करने और उचित अनुपात में आवंटनकर्ताओं से इसकी प्रतिपूर्ति करने की सिफारिश की गई।

14. राज्य सरकार ने चौधरी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 29 अगस्त, 2014 को एक सरकारी आदेश जारी किया (जिसे इसके बाद "उक्त जी. ओ". के रूप में संदर्भित किया गया है)। उक्त जी. ओ. ने प्रावधान किया कि किसानों को 64.7% पर अतिरिक्त राशि की पेशकश की जानी चाहिए।

शर्त है कि वे अधिग्रहण को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं को वापस ले लें कार्यवाहियां करना और कोई मुकदमा न दायर करना और वाई. ई. आई. डी. ए. के विकास कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न करना। उक्त जी. ओ. में यह स्पष्ट किया गया था कि सरकार अतिरिक्त राशि का बोझ वहन नहीं करेगी।

राशि।

15. उक्त जी. ओ. को 15 सितंबर, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में वाई. ई. आई. डी. ए. के बोर्ड के समक्ष रखा गया था और उसी दिन 15 तारीख के प्रस्ताव के माध्यम से उक्त बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी।

सितम्बर, 2014।

16. उक्त जी. ओ. और दिनांकित संकल्प के अनुसरण में

रु. 12,14,10,000 / - . 17. इसी पृष्ठभूमि में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर 2018 की रिट याचिका भी शामिल है।

18. 28 मई, 2020 के विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा किः

गजराज (ऊपर) के मामले में निर्णय, जैसा कि द्वारा अनुमोदित किया गया है

((i)

सावित्री देवी (उपरोक्त) के मामले में यह न्यायालय एक नहीं था

आरईएम में निर्णय और लागू नहीं किया जा सकता था

विभिन्न धाराओं के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही अधिसूचनाएँ या YEIDA के लिए;

((ख)

उक्त जी. ओ. और वाई. ई. आई. डी. ए. बोर्ड का संकल्प

दिनांक 15 सितंबर, 2014 प्रावधानों का उल्लंघन था

एल. ए. अधिनियम; और

(iii)

राज्य सरकार की नीति अनुचित, अनुचित थी,

मनमाना और हस्तांतरण के प्रावधानों का उल्लंघन

संपत्ति अधिनियम, 1882।

19. इससे व्यथित होने के कारण, विशेष अवकाश के माध्यम से वर्तमान अपीलें उत्तर प्रदेश राज्य के वाई. ई. आई. डी. ए. की ओर से दायर की गई हैं और

किसान जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। 20. हमने श्री सी. ए. सुंदरम, श्री सी. यू. सिंह और वाई. ई. आई. डी. ए. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह को सुना है।

श्री विनोद दिवाकर, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री राकेश यू. उपाध्याय और डॉ. सूरत सिंह, किसानों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील, जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई थी, श्री नकुल दीवान, श्री सुनील गुप्ता, श्री रवींद्र श्रीवास्तव और श्री संजीव सेन, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील-भूमि के मूल आवंटनकर्ता।

21. वर्तमान अपीलों में अपीलार्थियों का मुख्य तर्क है -

कि उक्त जी. ओ. राज्य सरकार का एक नीतिगत निर्णय था, जो जनहित में लिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त नीतिगत निर्णय किसानों के आंदोलन, चौधरी समिति की रिपोर्ट और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिग्रहण को अवैध घोषित होने से रोकने के लिए, राज्य सरकार के मंत्रियों के मंत्रिमंडल ने एक विचारशील निर्णय लिया था -

22. अपीलार्थियों की ओर से यह भी तर्क है कि राज्य सरकार की नीति के निर्णय के अनुरूप थी इस न्यायालय ने जनहित याचिका केंद्र और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 3 के मामले में, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि

3 3 (2012) 3 एस. सी. सी. 1 [2022] 5 एस. सी. आर.

यह सुनिश्चित करना राज्य के लिए अनिवार्य है कि लोग पर्याप्त रूप से निजी क्षेत्र में संसाधन के हस्तांतरण के लिए क्षतिपूर्ति। नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार की नीति समाज के एक छोटे से वर्ग तक लाभ को सीमित करने के बजाय बड़े पैमाने पर लोगों के कल्याण को देखते हुए तैयार की गई थी। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब राज्य की नीति में परिवर्तन लोक हित में होगा, तो यह राज्य द्वारा किए गए सभी निजी समझौतों पर हावी हो जाएगा।

23. अपीलार्थियों की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि -

वास्तव में किसानों के आंदोलन के कारण संबंधित क्षेत्र में विकास नहीं हो सका। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न भूखंड मालिकों ने राज्य सरकार और उसके अधिकारियों से संपर्क किया था

इन समस्याओं का समाधान ढूंढें, ताकि विकास आगे बढ़ सके। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चौधरी समिति की कार्यवाही से ही पता चलेगा कि आवंटनकर्ताओं के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों को चौधरी समिति द्वारा सुना गया था। इतना ही नहीं, बल्कि विभिन्न आबंटियों ने लिखित रूप में सहमति व्यक्त की थी कि वे अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने के लिए तैयार हैं ताकि विकास में बाधा को दूर किया जा सके। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त जी. ओ. पर सवाल उठाना उत्तरदाताओं के मुंह में नहीं है। और अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान का विरोध करते हैं।

24. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर, अपीलकर्ताओं की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पट्टा विलेख ने स्वयं परिवर्धन की अनुमति दी है,

पट्टे के नियमों और शर्तों में परिवर्तन या संशोधन। इस प्रकार, पट्टा विलेख के अनुसार भी, अपीलकर्ता पट्टे के नियमों और शर्तों को संशोधित करने या बदलने के हकदार थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "संशोधित" शब्द का उपयोग व्यापक अर्थों में किया जाना चाहिए न कि संकीर्ण अर्थ में।

भावना।

25. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में बड़ी त्रुटि में पड़ गया कि कोई भी रिट याचिका लंबित नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में, 600 से अधिक रिट याचिकाएं लंबित थीं जब राज्य द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया था।

सरकार। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीतिगत निर्णय अधिग्रहण को बचाने के लिए लिया गया था, जो अन्यथा रद्द और अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह, वास्तव में, उत्तरदाता हैं, जो उक्त उपाय के लाभार्थी हैं और इस तरह, इसका लाभ उठाया है

4 (2000) 10 एस. सी. सी. 664 यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण v. शकुंतला शिक्षा और कल्याण समाज [बी. आर. गवई, जे.]

उक्त उपाय से, उन्हें अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

26. अपीलार्थियों की ओर से यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के पास या तो अतिरिक्त भुगतान करने या उनके साथ धनवापसी लेने का विकल्प था।

ब्याज। ब्याज के साथ धनवापसी की मांग नहीं करने का विकल्प चुनने के बाद, अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने से इनकार करना उत्तरदाताओं के मुंह में नहीं है।

27. अपीलार्थी-वाई. ई. आई. डी. ए. की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उसने विशेष रूप से प्रस्तुत किया था कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश में थे

आवासीय भूखंडों से संबंधित अधिकांश मामलों में बल प्रयोग, जिसके कारण विकास कार्य पूरा नहीं हो सका।

28. किसानों की ओर से भी उपस्थित विद्वान वकील

YEIDA के रुख का समर्थन करें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिल्डरों ने पहले ही घर खरीदारों से अतिरिक्त मुआवजा वसूल कर लिया था। इस प्रकार, बिल्डरों द्वारा घर खरीदारों को अतिरिक्त मुआवजा पहले ही दे दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि उत्तरदाताओं के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह अन्यायपूर्ण संवर्धन की अनुमति देने के अलावा और कुछ नहीं होगा।

29. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाता हकदार नहीं थे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन राहत के लिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दायर रिट याचिकाओं को किसानों को शामिल किए बिना दायर किया गया था जो आवश्यक पक्ष थे।

रिट याचिकाओं के उत्तरदाता।

30. की ओर से विस्तृत तर्क दिए गए हैं

उत्तरदाताओं। संक्षेप में, वे इस प्रकार हैंः

(i) उत्तरदाताओं ने भुगतान करने का कोई वचन नहीं दिया था।

अतिरिक्त मुआवजा, जैसा कि कहा गया है; भुगतान के संबंध में "संशोधन/जोड़" शब्द

((ख)

केवल किसी लिपिक या तकनीकी त्रुटि तक ही सीमित था; उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि गजराज (ऊपर) और

(iii)

सावित्री देवी (उपरोक्त) केवल उन मामलों के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होती हैं। गजराज (उपरोक्त) के मामले में, उच्च न्यायालय ने मामलों को तीन प्रकारों में वर्गीकृत करने का विस्तृत अभ्यास किया था। किसी भी मामले में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य स्वयं गजराज के फैसले से व्यथित था

(ऊपर), जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है; [2022] 5 एस. सी. आर.

((iv) वर्तमान मामले में, कई अधिग्रहण निजी बातचीत द्वारा किए गए थे और इस प्रकार, लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है।

एल. ए. अधिनियम की धारा 17 या धारा 5 ए;

(v)

के बीच अनुबंध किए गए थे आबंटित और YEIDA। इस प्रकार, यह YEIDA के लिए एकतरफा रूप से नियमों और शर्तों को बदलने के लिए खुला नहीं था

अनुबंध करें और पट्टे के प्रीमियम में वृद्धि करें;

(vi) उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि राज्य सरकार की तथाकथित नीति मनमाना, तर्कहीन थी और इसलिए कानून में टिकाऊ नहीं थी; (vii) प्रत्यर्थी संख्या 19-सुपरटेक लिमिटेड की ओर से एक अतिरिक्त निवेदन किया गया था कि

प्राधिकरण ने दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 7 के तहत दायर याचिका को स्वीकार करते हुए पहले ही एक आदेश पारित कर दिया है।

2016 ;

(viii) व्यक्तिगत भूखंड मालिकों की ओर से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त भूखंड मालिक, जो समाज के मध्यम वर्ग से संबंधित हैं, पर अतिरिक्त राशि का बोझ नहीं डाला जा सकता है।

(ix) उत्तरदाताओं ने भी निर्णय पर भरोसा रखा

आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम उत्तर राज्य के मामले में यह न्यायालय

प्रदेश और अन्य इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए कि संपन्न अनुबंधों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है या उन्हें फिर से नहीं खोला जा सकता है।

31. पक्षों के विद्वान वकील की सहायता से, हमने अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया।

32. मुख्य कारण जो उच्च न्यायालय के साथ वजन करते हैं जबकि

रिट याचिकाएँ इस प्रकार हैं:

(1)

कि वे भूमि जिनका अधिग्रहण YEIDA के लिए किया गया था

वर्तमान मामला अधिसूचना से अलग अधिसूचना के तहत था जो गजराज के मामले में विचार के लिए आया था। (ऊपर);

कि इस न्यायालय ने सावित्री देवी (उपरोक्त) के मामले में

((ख)

स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि मामले में दिए गए निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा गजराज (ऊपर) जारी किया गया था

-) 7 एस. सी. सी. 493 आई. यू. एन. ए. एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण v.अकुंतला शिक्षा और कल्याण समाज [बी. आर. गवई, जे.]

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं किया जा सकता था। कि उच्च न्यायालय के
समक्ष दायर कुछ अन्य याचिकाएँ

(iii)

गजराज (ऊपर) के आधार पर लाभ का दावा किया गया था

अंततः उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया;

((iv) कि राज्य सरकार को कानून या वैधानिक प्रावधानों के अनुसार सख्ती से कार्य करना होगा। यह विशिष्ट प्रावधानों के उल्लंघन में मनमाने ढंग से या अनुचित तरीके से कार्य नहीं कर सकता है।

कानून;

(v)

कि न्यायसंगत राहत देना केवल न्यायालयों का काम है और

सरकार न्यायसंगत पर आदेश पारित करने की हकदार नहीं है

कानून का आधार।

33. हमें इन निष्कर्षों की शुद्धता की जांच करने के लिए कहा जाता है।

34. गजराज (ऊपर) के मामले में न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के प्रासंगिक हिस्से को इस न्यायालय द्वारा सावित्री देवी (ऊपर) के मामले में पुनः प्रस्तुत किया गया है। सावित्री देवी (उपरोक्त) के मामले में निम्नलिखित वचनों का उल्लेख करना उचित होगाः

" 20. संक्षेप में, राहत को तीन खंडों में वर्गीकृत किया गया था। पहली बार में, उन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया जो देर से दायर की गई थीं। दूसरी श्रेणी में, तीन गाँव, अर्थात्,

देवला (समूह 40), गाँव यूसुफपुर चक सहबेरी (समूह 38) और गाँव असदुल्लापुर (समूह 42) अधिग्रहण को अलग कर दिया गया था। शेष 61 गाँवों के संबंध में भूमि अधिग्रहण का संबंध है, अधिग्रहण को रहने की अनुमति दी गई थी लेकिन अतिरिक्त

उन भूमि मालिकों की अधिग्रहित भूमि के 10 प्रतिशत की सीमा तक विकास आबादी भूखंड के आवंटन के लिए पात्रता के साथ मुआवजे को बढ़ाकर 64.7% कर दिया गया, बशर्ते अधिकतम 2500 हो। वर्ग मीटर।

21. अब हम दिशा की सटीक प्रकृति [2011 एस. सी. सी.] को पुनः प्रस्तुत करते हैं।

ऑनलाइन ऑल 1711] उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, जो इस प्रकार हैः

(गजराज मामला [2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 1711], एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल)

" पूर्वगामी निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए हम निम्नानुसार आदेश देते हैंः

1. 2011 की रिट याचिका संख्या 45933, ग्राम निठारी से संबंधित 2011 की रिट याचिका संख्या 47545, ग्राम सदरपुर से संबंधित 2011 की रिट याचिका संख्या 47522, [2022] 5 एस. सी. आर. की रिट याचिका संख्या 45196।

2011 , 2011 की लेखन याचिका सं. 45208,2011 की लेखन याचिका सं. 45211,2011 की लेखन याचिका सं. 45213,2011 की लेखन याचिका सं. 45216, लेखन याचिका सं. 45223-24 2011 की रिट याचिका संख्या 45226, रिट याचिका संख्या। 45229-30 2011 की रिट याचिका संख्या 45235,2011 की रिट याचिका संख्या 45238, गाँव से संबंधित 2011 की रिट याचिका संख्या 45283

2. (i) समूह 40 (ग्राम देवला) की रिट याचिकाएं जो 2011 की रिट याचिका संख्या 31126,2009 की रिट याचिका संख्या 59131,2010 की रिट याचिका संख्या 22800,2011 की रिट याचिका संख्या 37118,2009 की रिट याचिका संख्या 42812,2009 की रिट याचिका संख्या 50417,2009 की रिट याचिका संख्या 54424,2009 की रिट याचिका संख्या 54652,2009 की रिट याचिका संख्या 55650,2009 की रिट याचिका संख्या 57032,2009 की रिट याचिका संख्या 58318 हैं। 2009 , 2010 की लेखन याचिका सं. 22798,2010 की लेखन याचिका सं. 37784,2010 की लेखन याचिका सं. 37787, लेखन याचिका सं. 31124-25 2011 की रिट याचिका संख्या 32234,2011 की रिट याचिका संख्या 32987,2011 की रिट याचिका संख्या 35648,2011 की रिट याचिका संख्या 38059,2011 की रिट याचिका संख्या 41339,2011 की रिट याचिका संख्या 47427 और 2011 की रिट याचिका संख्या 47412 इस प्रकार हैं -

अनुमत और दिनांकित अधिसूचनाएँ 26-5-2009 और 22-6-2009 और सभी परिणामी कार्यों को रद्द कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता अपनी भूमि की बहाली के लिए हकदार होंगे, बशर्ते कि वे

क्षतिपूर्ति जो उन्हें प्राधिकरण/कलेक्टर के समक्ष समझौते/पुरस्कार के तहत प्राप्त हुई थी।

((ii) 2010 की रिट याचिका संख्या 17,725 ओमवीर बनाम। यू. पी. राज्य (समूह 38) गाँव यूसुफपुर चक सहबेरी से संबंधित है

अनुमति दी गई। दिनांकित 10-4-2006 और 6-9-2007 अधिसूचनाएँ और सभी परिणामी कार्रवाई रद्द कर दी जाती हैं। याचिकाकर्ता अपनी भूमि की बहाली के लिए हकदार होंगे, बशर्ते कि वे कलेक्टर को समझौते/पुरस्कार के तहत उनके द्वारा प्राप्त मुआवजा।

(iii) 2011 की रिट याचिका संख्या 47486 (राजी बनाम। गाँव असदुल्लापुर से संबंधित समूह 42 के यू. पी. राज्य) की अनुमति है।

27-1-2010 और 4-2-2010 दिनांकित अधिसूचनाओं के साथ-साथ बाद की सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं को अपनी भूमि की बहाली का अधिकार होगा।

3. (1) और (2) में ऊपर उल्लिखित को छोड़कर अन्य सभी रिट याचिकाओं का निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटारा किया जाता हैः

64.70 %) इसके अलावा गाँव के पटवारियों के लिए भुगतान के रूप में 1997 के नियमों/पुरस्कार के तहत उनके द्वारा प्राप्त मुआवजा

जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाएगा। प्राधिकरण के लिए यह निर्णय लेने के लिए खुला हो सकता है कि आबंटियों द्वारा अतिरिक्त मुआवजे के किस अनुपात का भुगतान करने के लिए कहा जाए। जिन याचिकाकर्ताओं को अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें मुआवजे का भुगतान किया जा सकता है और साथ ही

ऊपर दिए गए आदेश के अनुसार अतिरिक्त मुआवजा। अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान अधिनियम की धारा 18, यदि कोई हो, के तहत भूमि मालिकों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा।

(ख) सभी याचिकाकर्ता अपने अधिग्रहित भूमि के 10 प्रतिशत तक विकसित भूमि के आवंटन के हकदार होंगे।

अधिकतम 2500 वर्ग मीटर के अधीन भूमि। हालाँकि, हम इसे उन मामलों में प्राधिकरण के लिए खुला छोड़ते हैं जहाँ अबादी भूखंड का आवंटन किया जाता है।

(क) वे भूमिधारक जिनकी अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली पिछली रिट याचिका अधिसूचनाओं को बरकरार रखते हुए खारिज कर दी गई है; और (ख) वे भूमिधारक जो अधिसूचनाओं के संबंध में न्यायालय में नहीं आए हैं, जो विषय हैं -

निर्देश 3 में उल्लिखित रिट याचिकाओं में चुनौती।

5. ग्रेटर नोएडा और इसके आवंटनकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे ऐसा न करें

विकास को जारी रखें और मास्टर प्लान को लागू करने के लिए नहीं 2021 राष्ट्रीय राजधानी की टिप्पणियों और निर्देशों तक

क्षेत्रीय योजना बोर्ड को मास्टर प्लान 2021 में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना की संतुष्टि के लिए

बोर्ड। हम स्पष्ट करते हैं कि यह निर्देश लागू नहीं होगा। उन मामलों में जहां विकास किया जा रहा है

ग्रेटर नोएडा के पहले के मास्टर प्लान के अनुसार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित।

6. हम राज्य के मुख्य सचिव को नियुक्त करने का निर्देश देते हैं

प्रधान सचिव के स्तर से नीचे के अधिकारी (को छोड़कर) औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारी जिन्होंने काम किया है

मास्टर को लागू करने की कार्यवाही में ग्रेटर नोएडा (ए) के अधिनियम एन. सी. आर. पी. बोर्ड की मंजूरी के बिना योजना 2021, (बी) लिए गए निर्णय

भूमि उपयोग में परिवर्तन करना, (ग) बिल्डरों को किया गया आवंटन, और (घ) भूमि अधिग्रहण के लिए अंधाधुंध प्रस्ताव, और

इसके बाद राज्य सरकार उचित कार्रवाई करेगी। मामले में "।

(मूल में जोर)

22. हम इस स्तर पर यह इंगित कर सकते हैं कि इन सभी के संबंध में तीन श्रेणियों में, उच्च न्यायालय ने अपना औचित्य प्रदान किया है

एक या दूसरी श्रेणी "। 35. विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय के मामले में

री देवी (सुप्रा) ने इस प्रकार कहाः

" 46. इस प्रकार, हमारे पास एक परिदृश्य है जहां, एक ओर, आह्वान

अधिकांश मामलों में, तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए हैं। सामना करना पड़ा। इस स्थिति के साथ, उच्च न्यायालय के पीछे की भावना से जा रहा है

बोंडू रामास्वामी [(2010) 7 एस. सी. सी. 129 में इस न्यायालय का निर्णय

: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 1] ने समाधान निकाला जो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण v है।

दोनों पक्षों के लिए न्यायसंगत। इस प्रकार, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने मामले की जमीनी वास्तविकताओं पर विचार किया और भूमि मालिकों को मुआवजे के रूप में पर्याप्त मुआवजा देने के साथ-साथ विकसित आबादी भूमि का अधिक दर यानी भूमि के 10 प्रतिशत पर आवंटन करके अधिक व्यावहारिक और व्यावहारिक समाधान पर पहुंचा।

पात्रता के विरुद्ध प्रत्येक भूमि मालिक का अधिग्रहण और (एस. आई. सी. के तहत) नोएडा के 5 प्रतिशत और 6 प्रतिशत की सीमा तक नीति और

ग्रेटर नोएडा भूमि क्रमशः।

36. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त मामले में इस न्यायालय ने पाया है कि एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें एक ओर तात्कालिकता का आह्वान किया गया है।

एल. ए. अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रावधान और एल. ए. अधिनियम की धारा 5ए के तहत आपत्तियां दर्ज करने के अधिकार को अवैध पाया गया, जबकि दूसरी ओर, गांवों में विकास पहले ही हो चुका था और अधिकांश मामलों में, तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए थे। इस स्थिति का सामना करते हुए, उच्च न्यायालय ने एक ऐसा समाधान निकाला जो दोनों पक्षों के लिए न्यायसंगत था। इस न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने मामले की जमीनी वास्तविकताओं पर विचार किया और भूमि मालिकों को मुआवजे के रूप में पर्याप्त मुआवजा देने के साथ-साथ उच्च दर पर विकसित अबादी भूमि का आवंटन करके अधिक व्यावहारिक और व्यावहारिक समाधान पर पहुंचा।

37. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह न्यायालय सावित्री देवी (उपरोक्त) के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 50 में यह स्पष्ट करता है कि उच्च न्यायालय के निर्देश अद्वितीय और विशिष्ट/विशिष्ट पृष्ठभूमि में दिए गए थे और इसलिए, यह भविष्य के मामलों के लिए मिसाल नहीं बनेगा।

38. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम सावित्री मोहन (मृत) के मामले में कानूनी माध्यम से

प्रतिनिधि और अन्य, यह न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर विचार कर रहा था, जिसमें उसने एल. ए. अधिनियम की धारा 4 (1) और धारा 17 (4) के साथ-साथ एल. ए. अधिनियम की धारा 17 (1) के साथ पठित धारा 6 के तहत अधिसूचना को रद्द कर दिया था। उक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 10 में एक विशिष्ट प्रश्न तैयार किया गया था, जो इस प्रकार हैः

" 10. विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या यह मामला सावित्री देवी [सावित्री देवी बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 7 एस. सी. सी. 21: (2015) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 473], जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है, जिस मामले में उत्तरदाता

अधिक मुआवजे और आवंटन की राहत का हकदार होगा

अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द करने के बजाय भूमि।

39. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने उक्त मामले में इस प्रकार टिप्पणी की:

" 13. उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि मुआवजे का वितरण पहले ही 76 प्रतिशत तक किया जा चुका है। इसके बाद, समूह 18 में आने वाले गाँव छपरौला की पूरी भूमि के लिए, दी गई राहत अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान और भूमि का आवंटन है। के रूप में

पहले से ही उल्लेख किया गया है कि आदेश का वह हिस्सा जहां अधिसूचना को रद्द करने की राहत दी गई है, वर्तमान की श्रेणी में नहीं है।

मामला। इन परिस्थितियों में, हम अपीलार्थी की ओर से उठाए गए इस तर्क में योग्यता पाते हैं कि खंड पीठ ने वर्तमान मामले को गजराज के फैसले से अलग करने में गलती की थी

[गजराज बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 11 एडीजे 1: 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी

1711] .

14. जैसा कि इस न्यायालय ने सावित्री देवी [सावित्री] में कहा है।

देवी वी. उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 7 एस. सी. सी. 21: (2015) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 473], इस निष्कर्ष के बावजूद कि तात्कालिकता खंड का आह्वान अनावश्यक था, भूमि के बड़े हिस्से में पहले से किए गए विकास को ध्यान में रखते हुए अधिग्रहण को अलग करने की राहत नहीं दी गई थी। हालांकि, इक्विटी को संतुलित करने के लिए न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उच्च मुआवजे और भूमि के आवंटन का आदेश दिया गया था। [सावित्री देवी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2015)

7 एस. सी. सी. 21, पैरा 17] "

40. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि हालांकि सावित्री देवी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि गजराज के मामले में निर्णय

(उपर्युक्त) का विशेष रूप से अद्वितीय और विशिष्ट/विशिष्ट पृष्ठभूमि में अर्थ लगाया जाना चाहिए, सावित्री मोहन (मृत) (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने गजराज (उपरोक्त) और सावित्री देवी (उपर्युक्त) के मामलों में निर्धारित सिद्धांत का पालन किया था और कहा था कि इक्विटी को संतुलित करने के लिए, उच्च मुआवजे के भुगतान और अतिरिक्त भूमि के आवंटन के लिए निर्देश जारी करना उचित था। यह देखा गया कि ऐसा करना आवश्यक था

ताकि न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

41. इस मोड़ पर, हमें राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय पर विचार करना होगा जैसा कि उक्त जी. ओ. में निर्दिष्ट किया गया है।

वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण v. शकुंतला शिक्षा और कल्याण समाज [बी. आर. गवई, जे.]

42. गजराज (उपरोक्त) के मामलों में इस न्यायालय के फैसले के बाद

और सावित्री देवी (ऊपर), 5 प्रतिशत और 6 प्रतिशत के बजाय प्रत्येक भूमि मालिकों की अधिग्रहित भूमि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 10 प्रतिशत उन किसानों को उपलब्ध कराया गया, जिनकी भूमि नोएडा के साथ-साथ ग्रेटर नोएडा के लाभ के लिए अधिग्रहित की गई थी। वाई. ई. आई. डी. ए. के लाभ के लिए अधिग्रहित भूमि आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए भी थी। यह महसूस करते हुए कि उन्हें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उनकी तुलना में बहुत कम दर पर मुआवजा दिया जा रहा है, विभिन्न किसान संगठनों ने आंदोलन शुरू कर दिया। यह कुछ आवंटी हैं जिन्होंने वाई. ई. आई. डी. ए. के सी. ई. ओ. को अभ्यावेदन दिया। ऐसा ही एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी No.19 सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 22 नवंबर को YEIDA के CEO को दिया गया था।

2013 , इसमें कहा गया है कि भारतीय किसान संघ के आंदोलन के कारण उन्हें 20 नवंबर, 2013 से अपना काम बंद करना पड़ा। उक्त पत्र/अभ्यावेदन में कहा गया है कि भारतीय किसान संघ के पदधारकों की मुख्य शिकायत यह थी कि वे बढ़े हुए मुआवजे चाहते हैं और उसी के मुआवजे के लिए प्राधिकरण बिल्डरों से धन चाहता है। उक्त अभ्यावेदन में कहा गया हैः

" " प्राधिकरण किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। किसानों का मुख्य मुद्दा यह है कि वे मुआवजे में वृद्धि चाहते हैं।

और उसी की क्षतिपूर्ति के लिए, प्राधिकरण बिल्डरों से धन चाहता है। बिल्डर इस राशि का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि जिसे हम बिल्डरों के निर्माण कार्यों को रोक रहे हैं। चर्चा के दौरान, कंपनी द्वारा यह कहा गया था कि "हम किसानों के खिलाफ या उनके अधिकारों के खिलाफ नहीं हैं और कंपनी इस तथ्य पर अपनी सहमति देती है कि किसानों के मुआवजे की राशि पर प्राधिकरण और सरकार के बीच जो भी सहमति होगी, उसे कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाएगा।"

43. उक्त पत्र/अभ्यावेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कंपनी किसानों के खिलाफ या उनके अधिकारों के खिलाफ नहीं थी और किसानों के मुआवजे की राशि पर प्राधिकरण और सरकार के बीच जो भी निर्णय लिया गया था, वह उसका पालन करने के लिए तैयार थी। 44. सनवर्ल्ड सिटी प्राइवेट द्वारा उसी दिन ऑरिस ग्रीनबे गोल्फ विलेज द्वारा इसी तरह के अभ्यावेदन किए गए थे। लिमिटेड 26 नवंबर, 2013 को और गौरसन्स रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। लिमिटेड 4 दिसंबर, 2013 को।

45. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि किसानों के प्रतिरोध और उनके आंदोलन के कारण परियोजनाओं का विकास कार्य रुका हुआ था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब यह बात राज्य सरकार के संज्ञान में लाई गई, तो राज्य सरकार ने मेरठ मंडल के आयुक्त को नामित किया।

इस मुद्दे पर गौर करने के लिए 10 अप्रैल, 2013 का आदेश। किसान संगठन के साथ विभिन्न बैठकें करने के बाद आयुक्त /

प्रतिनिधियों ने 16 जुलाई, 2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि वाई. ई. आई. डी. ए. द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण किया गया है और व्यापक प्रभाव वाली मांगों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक था कि राज्य सरकार में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। किसानों की मांगों की जांच के लिए स्तर का गठन किया जाए। इस पृष्ठभूमि में, राज्य सरकार ने 3 सितंबर, 2013 के आदेश के माध्यम से श्री राजेंद्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

चौधरी, जेल मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य। प्रभागीय

संबंधित प्रभाग के आयुक्त और कलेक्टर

संबंधित जिला भी चौधरी समिति के सदस्य थे। गाँव वालों/किसानों की समस्याओं और उद्योगों से संबंधित समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से चौधरी समिति का गठन किया गया था। चौधरी समिति ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कियाः

" ए। किसानों/किसान संगठनों द्वारा उठाई गई मांगें /

प्रतिनिधि और ज्ञापन/मांग पत्र उनके द्वारा उत्पादित और उनके द्वारा दी गई कृपा

व्यक्तिगत सुनवाई।

बी। उद्योगपतियों/बिल्डरों/आवंटनकर्ताओं द्वारा इस अवधि के दौरान दिया गया समर्थन

व्यक्तिगत सुनवाई।

ग. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण का पक्ष और राय।

46. चौधरी समिति ने अपनी कार्यवाही का संचालन किया

30 सितंबर, 2013 को किसानों के प्रतिनिधियों के साथ। इसके बाद उक्त समिति ने 29 अक्टूबर, 2013 को आबंटियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया। के साथ आयोजित बैठक में हुई चर्चा के प्रासंगिक भाग का उल्लेख करना उचित होगा

29 अक्टूबर, 2013 को आबंटियों के प्रतिनिधि, जो इस प्रकार हैंः

" 2. मेसर्स के प्रतिनिधि ने यह जानकारी दी। एस. डी. आई. एल. कि स्थानीय किसानों के उनकी समस्याओं/मांगों के मुद्दों पर आंदोलन के कारण, वर्तमान में, हम मौके पर कोई काम करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए, किसानों की समस्याओं के निपटारे के लिए समिति/सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, हम उसमें सहयोग करेंगे।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण v. शकुंतला शिक्षा और कल्याण समाज [बी. आर. गवई, जे.]

3. मेसर्स के प्रतिनिधि ने यह जानकारी दी। सुपरटेक प्रा. लिमिटेड कि किसान पूरे क्षेत्र में आंदोलन कर रहे हैं और वे विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि वे सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय में सहयोग करेंगे।

समस्याओं के समाधान के लिए समिति।

4. यह मेसर्स के प्रतिनिधियों द्वारा सूचित किया गया था। सिल्वरलाइन और अन्य इकाइयाँ/संस्थान जो क्षेत्र के किसानों द्वारा उठाई जा रही मांगों के परिणामस्वरूप उनके विकास कार्यों में बाधा डालने के कारण परियोजना की लागत बढ़ रही है। किसानों की समस्याओं के समाधान के कारण क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और किसानों की समस्याओं के निपटारे में मदद मिलेगी।

उसी तरह, वे अपनी सहायता प्रदान करेंगे।

5. पैतृक किसानों को दी जाने वाली 7 प्रतिशत आबादी वाली भूमि के स्थान पर 10 प्रतिशत आबादी वाली भूमि देने की मांग के बारे में मैसर्स के प्रतिनिधि ने कहा। जे. पी. इन्फ्राटेक प्रा. लि.

अर्थात् एस। समीर गौर ने कहा कि पहले उन्हें 7 प्रतिशत आबादी वाली भूमि और विकास शुल्क का भुगतान किया जाता था, अब, यदि कोई हो। अन्य लागत लगाई जाती है, तब कंपनी इसे वहन करने की स्थिति में नहीं होती है।

47. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इसके प्रतिनिधियों ने भी

परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा था। इस प्रकार, समस्या का समाधान करने का आग्रह किया गया। 48. चौधरी समिति ने अपीलार्थी-वाई. ई. आई. डी. ए. की ओर से की गई दलीलों पर भी विचार किया। अपीलार्थी-वाई. ई. आई. डी. ए. की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि इसी तरह के मामले में दिए गए फैसले के कारण, यानी गजराज (उपरोक्त) के मामले में, किसान, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, वे भी इसी तरह के मुआवजे की मांग कर रहे थे।

49. प्रतिद्वंद्वियों की दलीलों पर विचार करने के बाद, चौधरी ने

समिति ने अपनी सिफारिशें निम्नलिखित रूप में दीं:

" समिति की अनुशंसा:

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समिति द्वारा प्राधिकरण की राय के साथ-साथ किसान संगठनों की मांगों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया। में।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों द्वारा दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित सामान्य आदेश, माननीय उच्च न्यायालय ने भूमि की धारा 17 के तहत की गई कार्यवाही का पता नहीं लगाया

अधिग्रहण अधिनियम, 1894 ने निर्देश दिया था कि प्राधिकरण किसानों को अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करेगा और उन्हें 10 प्रतिशत विकसित भूमि वापस करेगा। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में भी किसानों द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए लगभग 700 रिट याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें अधिकांश याचिकाओं में स्थगन आदेश पारित किए गए हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किए गए अधिग्रहण में जो परिस्थितियां मौजूद थीं, वही परिस्थितियां यमुना एक्सप्रेसवे के अधिग्रहण के अधिकांश मामलों में भी मौजूद हैं। प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि, विभिन्न आबंटियों को आवंटित की गई है विभिन्न परियोजनाएं, जिनके कारण, इस अधिग्रहित भूमि में तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए हैं और यदि अधिग्रहण के खिलाफ दायर याचिकाकर्ताओं में प्राधिकरण के खिलाफ आदेश पारित किया जाता है

कार्यवाही, तब, कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। इसलिए,

अदालत में। अतः समिति सिफारिश करती है किः I. (क) यदि यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित/खरीदी गई भूमि से संबंधित किसी गाँव के सभी किसान/याचिकाकर्ता, माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में दायर अपनी याचिकाओं को वापस लेते हैं और यदि वे लिखित रूप में देते हैं।

भविष्य के लिए यह आश्वासन कि वे प्राधिकरण या उसके आवंटनकर्ताओं के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई दावा दायर नहीं करेंगे और विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं डालेंगे, तो, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरह, प्राधिकरण नो लिटिगेशन इंसेंटिव/एडिशनल कॉम्पेनसेशन के रूप में 64.7% अतिरिक्त मुआवजे के बराबर राशि देने पर विचार कर सकता है, जिसकी क्षतिपूर्ति आनुपातिक रूप से की जा सकती है।

संबंधित आबंटियों और उन्हें प्राधिकरण के पास उपलब्ध भूमि के आवंटन की लागत में आनुपातिक रूप से भी लगाया जा सकता है।

प्रेस्वेय औद्योगिक विकास प्राधिकरण v.[एल. ए. शिक्षा और कल्याण समाज [बी. आर. गवई, जे.]

अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया, मौके पर भौतिक कब्जा प्राप्त करने के बाद और किसानों के साथ समझौता करने के बाद संबंधित गांव की सभी रिट याचिकाओं/मामलों को वापस लेने के बाद प्राधिकरण की योजनाओं/प्राथमिकताओं के अनुसार ग्रामीण रूप से पूरी की जाए। प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, यदि अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान एकमुश्त में संभव नहीं है, तो इस पर भी विचार किया जा सकता है किश्तों में या विकसित भूमि के रूप में भुगतान के संबंध में।

7 प्रतिशत विकसित भूमि के स्थान पर 10 प्रतिशत विकसित भूमि के आवंटन के संबंध में कार्यवाही नोएडा/ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों द्वारा दायर अपील/एसएलपी के आदेश के अनुसार की जानी चाहिए।

अबादी नियमों में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधन की कार्यवाही, अनुमोदन के अंतिम चरण में है, कार्यवाही के निर्णय के अनुसार संचालित की जानी चाहिए

सरकार। पैतृक और गैर-पैतृक के बीच अंतर को समाप्त करने के संबंध में, यह निर्णय यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की 48 वीं बैठक में लिया गया है।

बोर्ड, कि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहित/खरीदी जाने वाली भूमि के ऐसे भूमि मालिक, जिनके नाम प्राधिकरण की स्थापना की तारीख से पहले अधिग्रहित भूमि पर छह वर्षीय रजिस्टर/खतौनी में दर्ज हैं, और भूमि मालिक यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भी जिले से संबंधित किसी भी गांव के निवासी हैं, तो उनकी अधिग्रहित भूमि के बदले 7 प्रतिशत आबादी भूमि का लाभ उन्हें दिया जाएगा। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय में उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले पात्र भूमि मालिकों के उत्तराधिकारियों को भी इस सुविधा की अनुमति दी गई है। आगे की कार्यवाही होगी -

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुसार आयोजित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. किसान संगठनों और जिला मथुरा की स्थानीय जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए, रियायत प्राप्तकर्ता मेसर्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के बाद। जे. पी

इन्फ्राटेक लिमिटेड ने यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण बोर्ड की 48 वीं बैठक में यहां मौजूदा और प्रवेश रैंप के निर्माण के लिए सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर बजना-नौझील रोड और तदनुसार डी. पी. आर. में आवश्यक संशोधन करके, रियायत पाने वाले मेसर्स को एक पत्र भेजा गया है। जे, पी। आवश्यक कार्रवाई के लिए इंफ्राटेक। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

समिति द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि उपरोक्त अतिरिक्त लाभ भूमि मालिकों को केवल उस मामले में दिए जाएं जब वे प्राधिकरण को भूमि का भौतिक कब्जा सौंप देंगे और माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लंबित रिट याचिका/मामले को वापस ले लेंगे और आवंटनकर्ताओं के विकास कार्यों में भविष्य में कोई बाधा नहीं डालने और भविष्य में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई दावा दायर नहीं करने के लिए समझौता करेंगे। अन्य मांगों के संबंध में समिति आगे विचार करने के बाद अपनी सिफारिश देगी।

50. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि की सिफारिशें

चौधरी समिति का उद्देश्य मुख्य रूप से किसानों और आवंटनकर्ताओं के बीच के मुद्दे को हल करना और समस्या का एक व्यावहारिक समाधान खोजना था। चौधरी समिति ने इसी तरह की सिफारिश की थी।

जिन किसानों की भूमि YEIDA के लिए अधिग्रहित की गई थी, उन्हें दिया जाना चाहिए, जैसा कि उन किसानों को दिया गया था जिनकी भूमि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाभ के लिए अधिग्रहित की गई थी। चौधरी समिति

यह पाया गया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाभ के लिए जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उन्हें भी वही लाभ दिए गए थे

गजराज (उपर्युक्त) के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय का, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सावित्री देवी (उपर्युक्त) के मामले में पुष्टि की गई है, उन किसानों को भी दिया जाना चाहिए जिनकी भूमि का अधिग्रहण लाभ के लिए किया गया था। यीडा। हालांकि, इसे सशर्त बना दिया गया था। भूमि मालिकों को इस शर्त पर अतिरिक्त लाभ दिया गया था कि वे भूमि का भौतिक कब्जा वाई. ई. आई. डी. ए. को सौंप देंगे और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित उनके द्वारा दायर रिट याचिकाओं/मामलों को वापस ले लेंगे।

51. राज्य सरकार ने उक्त जी. ओ. के माध्यम से प्रभाव डाला

चौधरी समिति की सिफारिशें।

यीडा ने भी अपने बोर्ड में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण v. शकुंतला शिक्षा और कल्याण समाज [बी. आर. गवई, जे.]

15 सितंबर, 2014 की बैठक में राज्य सरकार के निर्णय को लागू करने का संकल्प लिया गया। तदनुसार, आबंटियों को मांग नोटिस जारी किए गए।

52. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय से पहले विभिन्न कारक होते हैं। सबसे पहले, किसानों का आंदोलन, जब उन्हें किसानों को दिए गए लाभों से वंचित कर दिया गया

जिनकी भूमि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाभ के लिए अधिग्रहित की गई थी; आयुक्त की रिपोर्ट, चौधरी समिति की नियुक्ति, विभिन्न हितधारकों के साथ चौधरी समिति के विचार-विमर्श और उसके बाद चौधरी समिति की सिफारिशें।

53. कासिंका ट्रेडिंग और एक अन्य बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा और

एक अन्य ', जिसमें इस न्यायालय ने पहले की विभिन्न घोषणाओं और प्रो. के ग्रंथ का उल्लेख किया है। "प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा" पर एस. ए. डी. स्मिथ। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:

जहाँ धोखाधड़ी या प्रकट अन्याय को रोकना आवश्यक है। हालाँकि, इस सिद्धांत को सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को "किसी ऐसे प्रतिनिधित्व या वादे को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए सहायता के लिए नहीं दबाया जा सकता है जो कानून के विपरीत हो या जो सरकार के अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकार या शक्ति से बाहर हो"। न्यायिक राय की प्रचुरता है कि वचन के सिद्धांत को लागू करने के लिए स्पष्ट, ठोस और सकारात्मक नींव याचिका में ही सिद्धांत का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा रखी जानी चाहिए और यह कि गंजे भाव, बिना किसी सहायक सामग्री के, इस प्रभाव के कि सिद्धांत आकर्षित होता है क्योंकि सिद्धांत का आह्वान करने वाले पक्ष ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा करते हुए अपनी स्थिति को बदल दिया है, पर्याप्त नहीं होगा। सिद्धांत की सहायता के लिए दबाव डालना। हमारी राय में, प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत को सार में लागू नहीं किया जा सकता है और

अदालतें सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए बाध्य हैं, जिनमें प्राप्त किए जाने वाले परिणाम और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भलाई शामिल हैं, क्योंकि

इस सिद्धांत की प्रयोज्यता पर विचार करते हुए, अदालतों को निष्पक्षता बरतनी होगी और निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांतों को हमेशा के लिए लागू किया जाना चाहिए।

1 (1995) 1 एससीसी 274 [2022] 5 एस. सी. आर.

सिद्धांत की प्रयोज्यता पर विचार करते हुए, न्यायालय के दिमाग के सामने प्रस्तुत करें। सिद्धांत को तब फल देना चाहिए जब इक्विटी ऐसा हो।

यह मांग करता है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह दिखाया जा सकता है कि सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने वादे, आश्वासन या प्रतिनिधित्व के लिए पकड़ना असमान होगा।

13. इस देश में इस न्यायालय के क्रमिक निर्णयों के माध्यम से एक सदी की अंतिम तिमाही में वचन बहिष्कार के सिद्धांत का दायरा, दायरा और विस्तार विकसित हुआ है।

भारत संघ बनाम। भारत-अफगान एजेंसियां लिमिटेड [(1968) 2 एससीआर 366: ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 718] इस संबंध में सेंचुरी एस. पी. जी. का लाभ उठाया जा सकता है। & एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड वी. उल्हासनगर नगर परिषद [(1970) 1 एस. सी. सी. 582: (1970) 3 एस. सी. आर. 854]; मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमिटेड v. उत्तर प्रदेश राज्य [(1979) 2 एस. सी. सी. 409: 1979 एस. सी. सी. (कर) 144: (1979) 2 एस. सी. आर. 641]; जीत राम शिव कुमार बनाम। की स्थिति

हरियाणा [(1981) 1 एससीसी 11: (1980) 3 एससीआर 689]; भारत संघ बनाम। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड [(1985) 4 एस. सी. सी. 369: 1986 एस. सी. सी. (कर) 11]; इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम) (पी) लिमिटेड v. भारत संघ [(1985) 1 एस. सी. सी. 641: 1985 एस. सी. सी. (कर) 121]; पौरनामी ऑयल मिल्स बनाम। केरल राज्य [1986 पूरक एस. सी. सी. 728: 1987 एस. सी. सी. (कर) 134]; श्री बकुल ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम। गुजरात राज्य [(1987) 1 एससीसी 31: 1987 एससीसी (कर) 74: (1987) 1 एससीआर 185]; सहायक। सी. सी. टी. वी. धर्मेंद्र ट्रेडिंग कं. [(1988) 3 एस. सी. सी. 570 1988 एस. सी. सी. (कर) 432]; अमृत बनस्पति कं.

लिमिटेड वी. पंजाब राज्य [(1992) 2 एस. सी. सी. 411] और भारत संघ बनाम। हिंदुस्तान विकास निगम। [(1993) 3 एससीसी 499: जे. टी. (1993) 3 एस. सी. 15] गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड [(1985) 4 एस. सी. सी. 369: 1986 एस. सी. सी. (कर) 11] इस न्यायालय ने राय दीः (एस. सी. सी पी. 388 , पैरा

13)

" हम यह भी इंगित कर सकते हैं कि प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत एक न्यायसंगत सिद्धांत होने के कारण, इसे तब प्राप्त होना चाहिए जब

अपने द्वारा किए गए वादे या प्रतिनिधित्व के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण, न्यायालय व्यक्ति के पक्ष में एक इक्विटी नहीं उठाएगा जिसे वादा या प्रतिनिधित्व किया जाता है और IUNA एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण v को लागू किया जाता है।

सरकार या जनता के खिलाफ वादा या प्रतिनिधित्व

प्राधिकरण। प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत होगा ऐसे मामले में विस्थापन, क्योंकि तथ्यों पर, समानता की आवश्यकता नहीं होगी कि सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके द्वारा किए गए वादे या प्रतिनिधित्व से बंधा होना चाहिए।

14. आबकारी आयुक्त में, यू. पी. बनाम. राम कुमार [(1976) 3 एससीसी 540: 1976 एस. सी. सी. (कर) 360: ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2237] इस न्यायालय के चार विद्वान न्यायाधीशों ने कहाः (एस. सी. सी पी. 545, पैरा 19)

" यह तथ्य कि देशी शराब की बिक्री को बिक्री कर से छूट दी गई थी, अधिसूचना सं। एसटी-1149/एक्स-802 (33)-51 दिनांकित 6-4-1959 के खिलाफ एक अवरोध के रूप में काम नहीं कर सका

राज्य सरकार और उसे बिक्री पर कर लगाने से रोकें यदि वह राज्य के राजस्व के हित में ऐसा करने के लिए प्रेरित महसूस करती है जो विकासशील समाज की लगातार बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई योजनाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक हैं। यह अब निर्णयों के एक समूह द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपनी विधायी, संप्रभु या कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में सरकार के खिलाफ अवरोध का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।

15. प्रो. एस. ए. डी. स्मिथ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ न्यायिक समीक्षा प्रशासनिक कार्रवाई, तृतीय संस्करण में लिखा है। , पी पर। 279 स्थिति का सारांश दें

इस प्रकारः " क्राउन द्वारा किए गए अनुबंधों और समझौतों को निहित शर्तों के अधीन नहीं माना जाना चाहिए जो जनता के लिए सामान्य विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग को बाहर कर देंगे।

उपक्रम उतने ही स्पष्ट हैं जितना कि यह प्रस्ताव कि अदालतें क्राउन को प्रत्यक्ष रूप से बाध्यकारी अनुपालन से बचने की अनुमति नहीं दे सकती हैं। दायित्व जब भी उचित लगे। यदि कोई सार्वजनिक प्राधिकरण कानूनी रूप से एक बाध्यकारी अनुबंध की शर्तों को अस्वीकार करता है या उससे अलग हो जाता है ताकि वह एक स्पष्ट रूप से बाध्यकारी अनुबंध द्वारा कानून में बाध्य हो।

क्योंकि उपक्रम अपनी सामान्य विवेकाधीन शक्तियों को अनुचित रूप से बाधित करेंगे, समझौते के दूसरे पक्ष को सामान्य [2022] 5 एस. सी. आर. के तहत नुकसान या मुआवजे का कोई अधिकार नहीं है।

कानून, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पक्ष को कितना गंभीर नुकसान हो सकता है

पीड़ित "।

54. इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वचन बहिष्कार के सिद्धांत को सार में लागू नहीं किया जा सकता है और अदालतें इसके लिए बाध्य हैं -

प्राप्त किए जाने वाले परिणामों सहित सभी पहलुओं पर विचार करें और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भलाई। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस सिद्धांत की प्रयोज्यता पर विचार करते समय, न्यायालयों को समता रखनी होगी और समता के मौलिक सिद्धांत हमेशा के लिए न्यायालय के दिमाग में मौजूद रहने चाहिए, जबकि

सिद्धांत की प्रयोज्यता पर विचार करना। यह माना गया है कि

55. यदि हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर कासिंका ट्रेडिंग (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित सिद्धांत को लागू करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय न केवल व्यापक लोक हित में था, बल्कि उत्तरदाताओं के हित में भी था। ये परियोजनाएं थीं किसानों के आंदोलन के कारण रुक गया। किसानों ने भेदभाव महसूस किया क्योंकि उन्होंने पाया कि उन्हें दिया गया मुआवजा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में समान परिस्थिति वाले किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे से बहुत कम था। यह भूमि के आवंटनकर्ता थे जिन्होंने समस्या के निवारण के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया था। इनमें

परिस्थितियों में, सरकार ने समस्या का संज्ञान लिया और इस मुद्दे को देखने के लिए आयुक्त को नियुक्त किया। चूंकि आयुक्त ने एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की सिफारिश की थी, इसलिए चौधरी समिति नियुक्त की गई। चौधरी समिति ने सभी हितधारकों के साथ गहन चर्चा की। इसने यह भी ध्यान में रखा कि विभिन्न रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशों के कारण परियोजना का विकास रुका हुआ था। रिट याचिकाओं के लंबित होने के कारण, इसके पूरे अधिग्रहण को गैरकानूनी घोषित किए जाने पर हमेशा एक लटकती तलवार होती थी। इस आधार पर, एक व्यवहार्य समाधान खोजने के लिए और वह भी, गजराज (उपरोक्त) के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आधार पर, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सावित्री देवी (उपरोक्त) के मामले में पुष्टि की गई है और इसके बाद इस न्यायालय द्वारा सावित्री मोहन (मृत) (उपर्युक्त) के मामले में, सिफारिशें यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण v.

चौधरी समिति द्वारा बनाए गए थे। चौधरी समिति ने विशेष रूप से सिफारिश की कि अतिरिक्त मुआवजे और अन्य प्रोत्साहन का भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब भूमि मालिक भौतिक रूप से सौंपने के लिए सहमत हों

YEIDA को भूमि का कब्जा और सभी मुकदमों को वापस लेना।

56. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई और नीति में तैयार की गई सिफारिशें

सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, यह न केवल आबंटियों के एक छोटे से वर्ग का हित है जो सरकार के साथ तोलना चाहिए, बल्कि सरकार को किसानों के बड़े वर्ग के हित को भी उचित महत्व देना चाहिए, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

57. हम आगे पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए गलती की कि वाई. ई. आई. डी. ए. के लिए अधिग्रहण को चुनौती देने वाली कोई रिट याचिका दायर नहीं की गई थी।

चौधरी समिति की रिपोर्ट स्वयं स्पष्ट करेगी कि वाई. ई. आई. डी. ए. ने स्वयं प्रस्तुत किया था कि जहां तक आवासीय भूखंडों का संबंध है, अधिकांश रिट याचिकाओं में स्थगन आदेश चल रहे थे, जिसके कारण परियोजना कार्य का विकास रुका हुआ था। 58. इसलिए हमारा विचार है कि राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय व्यापक जनहित में था। इसे ले लिया गया।

सभी हितधारकों के साथ उचित विचार-विमर्श के बाद चौधरी समिति द्वारा एकत्र की गई पूरी सामग्री पर विचार करना। राज्य सरकार द्वारा जिन कारकों पर विचार किया गया, वे प्रासंगिक, तर्कसंगत और जमीनी वास्तविकताओं पर आधारित थे। मामले के इस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय मनमाना, तर्कहीन और अनुचित था, पूरी तरह से गलत है।

59. राज्य के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप के संबंध में कानून अब तक बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो चुका है। इस मामले में न्यायालय एस्सार स्टील लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य के पास राज्य के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइश पर विचार करने का अवसर था। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 43. इससे पहले कि हम विवादित नीति की वैधता की जांच कर सकें

6-3-2007 दिनांकित निर्णय, नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करने के लिए इस न्यायालय के पास निहित शक्ति की सीमा को समझना महत्वपूर्ण है।

44. डीडीए में [डीडीए बनाम। एस. एफ. एस. फ्लैटों का आवंटन, (2008) 2 एस. सी. सी. 672: (2008) 1 एस. सी. सी. (सिविल) 684] नीति की न्यायिक समीक्षा के मुद्दे पर

निर्णय, न्यायालय की शक्ति की जांच और अवलोकन निम्नानुसार किया जाता हैः (एससीसी पीपी। 697-98 , पैरा 64-65) " 64. एक कार्यकारी आदेश जिसे नीतिगत निर्णय कहा जाता है, न्यायिक समीक्षा के दायरे से परे नहीं है। जबकि उच्च न्यायालयों

नीति की बारीकियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, या एक-दूसरे को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह तर्क देना सही नहीं होगा कि जब कोई याचिका उठाई जाती है कि विवादित निर्णय एक नीतिगत निर्णय है तो अदालत अपने न्यायिक हाथों को हटा देगी। उच्चतर न्यायालय की ओर से इसके साथ हस्तक्षेप अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं होगा क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

65. मोटे तौर पर, एक नीतिगत निर्णय निम्नलिखित आधारों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हैः

(क) यदि यह असंवैधानिक है; (ख) यदि यह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और

नियम;

(ग) यदि प्रतिनिधि ने प्रत्यायोजन की अपनी शक्ति से परे काम किया है;

((घ) यदि कार्यपालिका की नीति वैधानिक नीति के विपरीत है या

बड़ी नीति "।

45. इस प्रकार, हम उपरोक्त आधारों पर विवादित नीति का परीक्षण करेंगे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह अनुच्छेद 136 के तहत हमारे हस्तक्षेप की गारंटी देता है या नहीं। इसके अलावा, इस न्यायालय के पास न तो अधिकार क्षेत्र है और न ही इस तरह के नीतिगत निर्णयों की व्यवहार्यता का न्याय करने की क्षमता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए सरकार। अरुण कुमार अग्रवाल बनाम। भारत संघ [अरुण कुमार अग्रवाल बनाम। भारत संघ, (2013) 7 एस. सी. सी. 1], इस न्यायालय ने आगे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः (एस. सी. सी पी. 17, पैरा 41)

" 41. ..... अधिकार क्षेत्र में बैठा यह न्यायालय समझौते के पक्षों द्वारा इसके मौद्रिक और वित्तीय प्रभावों का मूल्यांकन और मूल्यांकन करने के बाद लिए गए वाणिज्यिक या व्यावसायिक निर्णय पर निर्णय नहीं ले सकता है, जब तक कि निर्णय किसी भी वैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन या विकृत या बाहरी के लिए नहीं लिया जाता है।

विचार या अनुचित उद्देश्य। राज्य और इसके उपकरण विभिन्न अनुबंध कर सकते हैं जिनमें जटिल अनुबंध शामिल हो सकते हैं।

आर्थिक कारक। राज्य या राज्य उपक्रम एक पक्ष होने के नाते

एक अनुबंध के लिए, विभिन्न निर्णय लेने होते हैं जिन्हें वे उचित और उचित मानते हैं। इस तरह के निर्णयों में हमेशा जोखिम का तत्व होता है, यू. एन. ए. एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण v.

अकुंतला शिक्षा और कल्याण समाज [बी. आर. गवई, जे.]

अंततः यह एक सही या गलत निर्णय साबित हो सकता है। लेकिन अगर निर्णय ईमानदारी से और जनहित में लिया जाता है,

केवल यह तथ्य कि निर्णय अंततः गलत साबित हुआ है,

यह अपने आप में यह मानने का आधार नहीं है कि निर्णय दुर्भावनापूर्ण था या गलत उद्देश्यों से लिया गया था।

(जोर दिया गया)

46. विलियनूर इयार्काई पदुकप्पु मैयम बनाम। भारत संघ [विलियनूर इयार्काई पडुकप्पु मैयम बनाम। भारत संघ, (2009) 7 एस. सी. सी. 561], यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः (एस. सी. सी पी. 605, पैरा 169)

" 169. यह न तो अदालतों के अधिकार क्षेत्र में है और न ही

न्यायिक समीक्षा का दायरा इस बात की जांच शुरू करने के लिए कि क्या कोई विशेष सार्वजनिक नीति बुद्धिमान है या क्या बेहतर सार्वजनिक नीति विकसित की जा सकती है। न ही अदालतें किसी याचिकाकर्ता के कहने पर किसी नीति को केवल इसलिए रद्द करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि यह आग्रह किया गया है कि एक अलग नीति निष्पक्ष या बुद्धिमान या अधिक वैज्ञानिक या अधिक तार्किक होती। आर्थिक नीति की बुद्धिमत्ता और सलाह

वे आम तौर पर न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। आर्थिक मुद्दों से संबंधित मामलों में सरकार को निर्णय लेते समय "परीक्षण और त्रुटि" का अधिकार है, जब तक कि परीक्षण और त्रुटि दोनों प्रामाणिक और प्राधिकरण की सीमाओं के भीतर हों। किसी नीति की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त मंच संसद है न कि अदालतें।

(जोर दिया गया)

47. नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। भारत संघ [नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम। भारत संघ, (2000) 10 एस. सी. सी. 664] ने अदालतों के खिलाफ आगाह किया

नीतिगत निर्णयों के खिलाफ अपील में बैठना। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

(एस. सी. सी पी. 763, पैरा 234)

" 234. सार्वजनिक परियोजनाओं और नीतियों के संबंध में जो हैं -

सरकार द्वारा शुरू की गई अदालतें एक नहीं बननी चाहिए

अनुमोदन प्राधिकरण। आम तौर पर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं -

उचित देखभाल और विचार के बाद सरकार। लोकतंत्र में

न केवल समाज के एक छोटे से वर्ग का, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों का कल्याण एक जिम्मेदार व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए।

सरकार। यदि एक सुविचारित नीतिगत निर्णय लिया गया है, [2022] 5 एस. सी. आर.

लोक हित में नहीं होना चाहिए कि अदालत इसमें जाए और उन क्षेत्रों की जाँच करें जो कार्यपालिका का कार्य हैं।

निर्णय की समीक्षा करने के लिए कहने से बचना चाहिए क्योंकि एक याचिकाकर्ता ने एक जनहित याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है कि इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए

उपक्रम के खिलाफ एक विपरीत दृष्टिकोण के कारण लिया गया है

परियोजना के किस दृष्टिकोण पर विचार किया जा सकता है सरकार, संभव है। जब दो या दो से अधिक विकल्प या दृश्य हों

संभव है और उन पर विचार करने के बाद सरकार एक नीति बनाती है

निर्णय लें तो मामले में जाना अदालत का काम नहीं है

नए सिरे से और, एक तरह से, इस तरह के नीतिगत निर्णय पर अपील करें।

(जोर दिया गया)

48. एक समान भावना एक संविधान पीठ द्वारा प्रतिध्वनित की गई थी पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी में यह न्यायालय।

लिमिटेड वी. आर. बी. आई. [पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी।

लिमिटेड वी. आर. बी. आई., (1992) 2 एस. सी. सी. 343], जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया थाः

(एस. सी. सी पी. 375, पैरा 31)

" 31. ..... अदालतों को आर्थिक नीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए

जो विशेषज्ञों का कार्य है। यह अदालतों का काम नहीं है। आर्थिक नीति के मामलों पर निर्णय में बैठने के लिए और यह आवश्यक है

49. इस न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों का अवलोकन यह दिखाएगा कि इस न्यायालय को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और

नीति से संबंधित मामलों का सामना करने पर संयम रखें देश के वाणिज्यिक मामलों के संबंध में। कार्यकारी नीतियाँ

आम तौर पर सरकार द्वारा बहुत विचार-विमर्श के बाद अधिनियमित किया जाता है।

इसलिए इस न्यायालय के लिए सवाल पूछना उचित नहीं होगा।

उसी का ज्ञान, जब तक कि यह पीड़ितों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है

अनुचित या दुर्भावनापूर्ण तरीके से, या यह कि यह प्रावधानों का उल्लंघन करता है भारत के संविधान "।

60. यह एक सामान्य कानून है जो नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करता है।

घ तब तक वारंट नहीं किया जाएगा जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि नीतिगत निर्णय है

वैधानिक यमुन अभिव्यक्ति औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, तर्कहीन या उल्लंघनकारी।

प्रावधान। इसलिए हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करना भी सही नहीं था, जो व्यापक जनहित में है।

61. ए. पी. एम. टर्मिनल्स बी. वी. बनाम बी. वी. बनाम बी. वी. बनाम

राज्य सरकार की नीति, जो उक्त जी. ओ. में परिलक्षित होती है, न केवल व्यापक लोक हित में थी, बल्कि जनता के हित में भी थी। उत्तरदाताओं।

66. हम आगे पाते हैं कि उत्तरदाता अप्रूबेट और रिप्रोबेट के आचरण में लिप्त हैं। उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार अपना रुख बदला है। जब किसानों के आंदोलन के कारण उनकी परियोजनाएं रुकी हुई थीं, तो उन्होंने ही समाधान खोजने के लिए राज्य के अधिकारियों से संपर्क किया था। जब राज्य सरकार ने उनके अभ्यावेदन का जवाब दिया और एक ऐसी नीति बनाई जो न्यायसंगत और किसानों और आबंटियों दोनों के हित में थी और जब उक्त नीति ने विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जब अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा गया, तो उत्तरदाताओं-आबंटियों ने उसी नीति को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिससे लाभ हुआ।

राज्य सरकार के हस्तक्षेप के लिए भूमि के आबंटियों द्वारा किए गए संचार। 67. जहां तक व्यक्तिगत भूखंड मालिकों का संबंध है, यह उल्लेख करना सार्थक होगा कि सेक्टर 18 में आवासीय भूखंड मालिक और

अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान पर कोई आपत्ति है। 69. सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के संबंध में प्रतिवादी No.19 सुपरटेक के तर्क के संबंध में, हम वर्तमान कार्यवाही में उक्त मुद्दे से चिंतित नहीं हैं। कानून अपना काम करेगा।

70. अंत में, हमारा विचार है कि राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय जैसा कि उक्त जी. ओ. दिनांक में परिलक्षित होता है। 29 अगस्त, 2014 और 15 सितंबर, 2014 का वाई. ई. आई. डी. ए. बोर्ड का संकल्प व्यापक जनहित में था, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का ध्यान रखा गया था।

आबंटियों के साथ-साथ किसानों की चिंताएँ। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, यदि उक्त निर्णय नहीं लिया गया था, तो अधिग्रहण को गैरकानूनी घोषित किए जाने की तलवार लटक रही थी। किसानों के आंदोलन के कारण पूरी परियोजना का विकास रुका हुआ था। नीतिगत निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार ने चौधरी समिति के माध्यम से सभी दलों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया था।

आबंटियों, किसानों और वाई. ई. आई. डी. ए. सहित हितधारक। सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लिया गया था

और कारणों से निर्देशित किया गया था। किसी भी मामले में, यह कानून की एक तय स्थिति है कि सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित के बीच टकराव के मामले में, सार्वजनिक हित व्यक्तिगत हित से अधिक होगा। इसलिए उच्च न्यायालय का यह मानना उचित नहीं था कि राज्य का नीतिगत निर्णय अनुचित, अनुचित और मनमाना था। हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को अनुमति देने में गलती की है। वर्तमान में

इसलिए, अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए।

71. परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैं:

((ii) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2018 की रिट याचिका संख्या 28968 में पारित 28 मई, 2020 के विवादित निर्णय और आदेश और सहयोगी मामलों को रद्द कर दिया गया है। (iii) 28 मई, 2020 के विवादित फैसले और आदेश के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को पारित कर दिया गया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है;

72. हस्तक्षेप के लिए आवेदनों की अनुमति है। निर्देश के लिए आवेदनों सहित लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाएगा

शब्दों के ऊपर। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन (सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)